



सलूमबर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का बुधवार देर रात को निधन हो गया। गुरुवार को उनकी पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सलूमबर पहुंचकर अमृतलाल मीणा की पार्थिव देह को पुष्पांजलि अर्पित की।

सलूमबर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का निधन

राजकीय सम्मान से अंतिम विदाई, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पुष्पांजलि अर्पित की

उदयपुर, 8 अगस्त (का.सं.)। सलूमबर से लगातार तीन बार भाजपा के विधायक रहे अमृतलाल मीणा (65) का बुधवार देर रात उदयपुर के एम.बी. अस्पताल में निधन हो गया। जानकारी अनुसार बुधवार रात अचानक तबीयत बिगड़ने पर विधायक अमृतलाल मीणा को उदयपुर के एम.बी. अस्पताल लाया गया और रात करीब दो बजे उनका निधन हो गया। उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ होगी।

- बुधवार रात अचानक तबियत बिगड़ने पर अमृतलाल मीणा को उदयपुर के एम.बी. अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, वहां उनका निधन हो गया।
- अमृतलाल मीणा की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ होगी।
- सलूमबर से लगातार तीन बार विधायक रहे अमृतलाल मीणा 20 साल से राजनीति में थे और क्षेत्र में भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते थे।

गुरुवार दोपहर करीब तीन बजे उनकी पार्थिव देह उदयपुर से उनके पैतृक गांव लालपुरिया (सलूमबर) लाई गई। यहां पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। इससे पहले दोपहर करीब डेढ़ बजे उनकी पार्थिव देह को सलूमबर के डाक बंगला में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां लोगों ने उन्हें पुष्पांजलि दी। विधानसभा में भी उनका निधन हो गया। उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ होगी।

अधिकारी, ग्रामीणजन आदि उपस्थित रहे। मीणा के निधन के समाचार के पश्चात मुख्यमंत्री शर्मा ने गुरुवार को प्रस्तावित सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया था।

जानकारी के अनुसार इस बार के बजट सत्र में भी उन्होंने विधानसभा में 98 लिखित सवाल लगाए। उनमें से 10 सवालों का जवाब आ चुका है और 88 सवाल का जवाब आना बाकी था। जनहित के इन सभी सवालों का जवाब आता उससे पहले ही अमृतलाल मीणा जनता के बीच से विदा हो गए।

एमबी अस्पताल अधीक्षक आरएल सुसन के अनुसार विधायक अमृतलाल मीणा को बुधवार रात करीब सवा एक बजे एमबी अस्पताल लाया गया। उस समय विधायक मीणा की सांसे नहीं चल रही थी, धड़कनें बंद हो चुकी थीं। इमरजेंसी में ही काफी प्रयास किया गया। डॉक्टरों की टीम ने करीब पौनघंटा काफी प्रयास किया। रात करीब दो बजे विधायक मीणा का निधन हो गया। सलूमबर जिले के लालपुरिया गांव में साल 1959 में जन्मे अमृतलाल मीणा करीब 20 साल राजनीति में सक्रिय रहे। अमृतलाल ने साल 2004 में पंचायत समिति सराडा के सदस्य के तौर पर राजनीति की शुरुआत की थी।

हैदराबाद में नॉन वैज की....

(प्रथम पृष्ठ का शेष) को आबादी का बड़ा तबका नॉन वैज भोजन खाता है। समस्या सिवनी जैसी फूड डिलीवरी ऐप के साथ है जिसके डिलीवरी एजीक्यूटिव ग्राहकों के नॉन वैज ऑर्डर पहुंचाने से इनकार कर रहे हैं। अगर इस तरह की घटनाएं बड़ी तो यह बड़ी समस्या बन सकता है खासकर अपने लंच ऑर्डर का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक कस्टमर ने बताया

सरकार अचानक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) देना तथा वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना। वक्फ बोर्ड में महिलाओं को लाने का भी प्रावधान किया जा रहा है। प्रश्न यह है कि क्या सरकार वक्फ की जमीन पर कब्जा करना चाहती है, तथा इसके साथ ही, क्या यह कुछ महत्वपूर्ण लोगों की मदद करने का प्रयास है। मुकेश अंबानी का "एन्टीलिया" वक्फ की जमीन पर ही है, तथा इसी प्रकार, क्या यह अंबानी, जो नरेन्द्र मोदी के अच्छे मित्र हैं, की मदद करने की कोशिश है।

राहुल गांधी ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) लिखा कि साथी सांसदों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। हालांकि, राहुल गांधी ने मीटिंग का ब्यौरा नहीं दिया पर उन्होंने कहा कि आज लोकसभा में कांग्रेस सांसदों की मीटिंग हुई, जिसमें राहुल गांधी मौजूद थे तथा कई मसलों पर चर्चा हुई।

कि कुछ अन्य लोकल कूरियर के डिलीवरी एजीक्यूटिव और डिलीवरी एप भी नॉन वैज फूड के पैकेट ले जाने से इनकार कर रहे हैं। एक मध्यम वर्गीय महिला ने बताया कि वह शहर में काम करने वाले अपने बेटे को लंच भेज रही थीं और सिवनी के डिलीवरी एजीक्यूटिव ने मना कर दिया कि वह लंच बाक्स नहीं ले जाएंगी क्योंकि इसमें चिकन करी है। यहीं नहीं डिलीवरी पार्टनर ने पहले महिला से पूछा टिफिन में क्या है फिर उसने इनकार कर दिया। पर उसने इतनी मदद अवश्य डिलीवरी की रिक्वेस्ट किसी अन्य को दे दी जिसे नॉन वैज के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी।

शिकायतों की हैं। आमतौर पर कूरियर करने वाले यह नहीं पूछते हैं कि पैकेट में क्या है पर अब वर्कर्स यूनियन ने भी अपने सदस्यों को प्रोत्साहित कर रही है कि वे कस्टमर से पूछें कि पैकेट में क्या है ताकि उन्हें ऐसी कोई चीज न ले जाने पड़े जो वे नहीं चाहते हैं।

तेलंगाना गिंग एवंग्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन अपने सदस्यों को कह रही है कि पार्सल स्वीकार करने से पहले उसमें क्या है यह जानना जरूरी है। ट्रेड यूनियन के प्रवक्ताओं ने कहा कि यह जागरूकता जरूरी है ताकि ये लोग "ड्रग ट्रांसपोर्ट" में ना फंसे। पर ऐसे महीनों में जब हिंदू त्यौहार ज्यादा पड़ते हैं तब ये लोग नॉन वैज भोजन के पैकेट लेने से भी इनकार कर रहे हैं। एक डिलीवरी एजीक्यूटिव ने कहा कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं अधिकांश को नॉन वैज से कोई फर्क नहीं पड़ता है पर कुछ के साथ निजी समस्याएं हैं और वे इनकार कर देते हैं।

पैकेज्ड फूड पर वॉर्निंग लेबल्स नहीं होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

याचिका में सभी तरह के पैकेज्ड फूड के फ्रंट पर शुगर और फैट की जानकारी लिखे जाने की मांग की गई है

- याचिका में कहा गया है कि जून 2023 तक, भारत में लगभग 10.1 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित थे, जबकि 13.6 करोड़ प्रीडायबिटीज से पीड़ित हैं। देश में 31.5 करोड़ लोग हाई ब्ला प्रेशर से और 25.4 करोड़ लोग मोटापे से ग्रस्त हैं। पैकेज्ड फूड इस तरह की बीमारियों को खुलेआम बढ़ावा दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राहुल ने सांसदों से जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की अपील की। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लोकसभा सदस्यों की मीटिंग हुई। गांधी की पार्टी नेताओं के साथ बैठक से कुछ दिन पहले कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी सांसदों के साथ बैठक की थी।

नई दिल्ली, 8 अगस्त। देश में बढ़ते मधुमेह (डायबिटीज) की बीमारी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है और शीर्ष न्यायालय से डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों पर फ्रंट-ऑफ-पैकेजिंग वॉर्निंग लेबल्स को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। यानी सभी तरह के पैकेज्ड फूड के ऊपर शुगर और फैट की जानकारी देना अनिवार्य करने की गुहार लगाई गई है, ताकि लाखों लोगों को मधुमेह जैसी गंभीर बीमारी से बचाया जा सके। इसके साथ ही याचिका में कहा गया है कि कोर्ट एफ.ओ.पी.डब्ल्यू.एल. का कड़ाई से पालन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य

सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दे। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका पर चार सप्ताह में जवाब मांगते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई अब 27 अगस्त को होगी। इस पीठ में सोजेआई के अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस

मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। ये याचिका "3एस एंड अवर हेल्थ सोसाइटी" नामक संस्था ने एंडवेकेट राजीव शंकर द्विवेदी के माध्यम से दाखिल की है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जनहित याचिका में सभी तरह के डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के ऊपर डिटेल्ड लेबल की तत्काल आवश्यकता

ई.डी. ने जल जीवन मिशन घोटाले में चार्जशीट पेश की

जयपुर, 8 अगस्त (का.सं.)। एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ई.डी.) मामलों की विशेष अदालत में गुरुवार को ई.डी. ने जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर दर्ज मनी लॉण्डरिंग के मामले में चार आरोपियों पदम चंद जैन, महेश मित्तल, संजय बडाय्या और मुकेश पाठक के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। चार्जशीट में धन शोधन निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आरोप लगाए गए हैं। इससे पहले 24 अप्रैल को ई.डी. ने टेकेदार पदम चंद जैन के बेटे पीयूष जैन के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की थी। चार्जशीट में कहा गया कि ई.डी. ने ए.सी.बी. दर्ज एफ.आई.आर. के बाद प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी।

- ई.डी. ने चार्जशीट में चारों आरोपियों, पदम चंद जैन, संजय बडाय्या, महेश मित्तल व मुकेश पाठक के खिलाफ अवैध तरीके से अपनी फर्मों में 500 करोड़ रुपए जमा करने का आरोप लगाया है।
- ई.डी. का आरोप है कि आरोपियों ने बिल पास कराने और टैंडर हासिल करने और लोक सेवकों से संरक्षण प्राप्त करने के लिए पी.एच.ई.डी. में भारी रिश्तत दी थी।

जिसमें पाया गया कि पदम चंद जैन, महेश मित्तल और पीयूष जैन टैंडर हासिल करने, बिल मंजूर करवाने और लोक सेवकों से अवैध संरक्षण प्राप्त करने के लिए पी.एच.ई.डी. में रिश्तत देने में शामिल थे। आरोपी हरियाणा से

चोरी का माल खरीदने में भी शामिल थे और टैंडर हासिल करने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे थे। आरोपपत्र में कहा गया है कि पदम चंद जैन और महेश मित्तल सहित आरोपियों से संबंधित फर्मों के बैंक खातों में लगभग 500

करोड़ रुपये जमा हुए थे। उन्हें जो भी पैसा मिला वह पी.एम.एल.ए. अधिनियम के तहत अपराध की आय है। आरोप पत्र में कहा गया कि आरोपी मुकेश पाठक इरकॉन में स्टेनोग्राफर था और उसने मेसर्स गणपति टचयूबलव और मेसर्स प्रथम टचयूबलव के लिए फर्जी और मनगढ़ंत प्रमाण पत्र बनाए थे। यह दोनों फर्म महेश मित्तल और पदम चंद जैन की हैं। आरोपी संजय बडाय्या निजी टेकेदारों से टैंडर राशि का 2.5 से 3 प्रतिशत तक वसूल कर रहा था। यह राशि टैंडर लेने वाली फर्म को सुविधाएं देने के बदली ली गई थी। उसने आरोपी टेकेदारों महेश मित्तल और पदम चंद जैन से लगभग 5 करोड़ रुपये की रिश्तत ली थी।

जिला न्यायालयों के जज सिर्फ 15 हजार मासिक पेंशन में गुजारा कैसे करें?

नयी दिल्ली, 8 अगस्त (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों को दो जा रही अल्प पेंशन के मुद्दों पर विचार करे। मुख्य न्यायाधीश डी वार्ड चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 'अल इंडिया जजेज एसोसिएशन' द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अर्दोनी जनरल आर. वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे मामले से संबंधित न्यायमित्र के साथ विचार-विमर्श कर इस मुद्दे का हल निकालें।

पीठ ने शीर्ष विधि अधिकारियों अर्दोनी जनरल और सॉलिसिटर से कहा, हम जिला न्यायापालिका के संरक्षक होने के नाते आपसे ऐसा करने (हल) का आग्रह करते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि पेंशन संबंधी शिकायतों को लेकर जिला न्यायाधीशों द्वारा न्यायालय के समक्ष कई याचिकाएं दायर की जा रही हैं। अर्दोनी जनरल वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल मेहता ने केंद्र का पक्ष रखते हुए पीठ से जिला न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन संबंधी पहलुओं से संबंधित मामले पर बहस करने के लिए कुछ समय देने की गुहार लगाई। पीठ ने कहा कि जिला न्यायाधीशों को पेंशन के रूप में केवल 15,000 रुपये मिल रहे हैं। पीठ ने आगे कहा, जिला न्यायाधीश उच्च न्यायालयों में आते हैं। आम तौर पर उन्हें 56 और 57 वर्ष की आयु में उच्च न्यायालयों में पदोन्नत किया जाता है।



पैरिस ओलंपिक्स में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुये जैवलिन श्रो में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मैडल जीत लिया है। नीरज चोपड़ा 89.45 मीटर का श्रो फेंककर प्रतियोगिता में दूसरे पायदान पर रहे और भारत के लिए सिल्वर मैडल पक्का किया। नीरज चोपड़ा ने दूसरे प्रयास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाते हुये 89.45 मीटर दूर भाला फेंका। नीरज ने क्वालिफिकेशन राउंड में 89.34 मीटर दूर भाला फेंका था। नीरज इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं जिनके नाम ओलंपिक्स में दो मैडल दर्ज हो गये हैं।

ई.डी. का अधिकारी 20 लाख रु. रिश्तत लेते गिरफ्तार हुआ

नई दिल्ली, 8 अगस्त। सी.बी. आई. ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ई.डी.) के एक सहायक निदेशक को 20 लाख रुपये की रिश्तत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए ई.डी. अधिकारी की पहचान संदीप सिंह यादव के रूप में हुई है। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि ई.डी.

अधिकारी को दिल्ली के लाजपत नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। सी.बी.आई. के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) ने तीन और चार अगस्त को जौहरी के परिसरों पर छापेमारी की थी जिसके बाद सहायक निदेशक संदीप सिंह यादव ने उन्हें 2.5 लाख रुपये न देने पर जौहरी के बेटे को गिरफ्तार करने की कथित तौर पर धमकी

दी थी। अधिकारियों ने बताया कि बातचीत के दौरान 20 लाख रुपये की रिश्तत देने पर बात तय हुई। उन्होंने बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अधिकारी यादव को रिश्तत लेते हुए रूढ़ि हाथ पकड़ लिया गया। सीबीआई को शिकायत मिली और उसी के आधार पर कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया गया।

चंद्रबाबू नायडू के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो आदेशित करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता के अधिकार से इनकार नहीं कर सकता। द्रमुक सांसद कनिमोई ने कहा कि इस विधेयक के निशाने पर अल्पसंख्यक हैं तथा यह उस स्वप्न को नष्ट कर देगा, जो हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिये देखा था। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा इस विधेयक को अपने कट्टरपंथी समर्थकों को प्रेरित करने के लिये लाई है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में पार्टी को धक्का लग चुका है। किन्तु, अल्पसंख्यक मामलता के मन्त्री अपनी इस बात पर जमा रहे कि यह विधेयक सामान्य मुस्लिमों को न्याय देने के लिये लाया गया है क्योंकि सरकार को वक्फ सम्पत्तियों के दुरुपयोग के बारे में अनेकानेक शिकायतें मिली हैं।

'विपक्ष के कई नेता, जो अब...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कई सांसदों ने मुझे निजी तौर पर बताया था कि वक्फ बोर्ड माफियाओं के कब्जे में है, लेकिन अब वे ही विधेयक का विरोध कर रहे हैं। रिजिजू ने दावा किया कि वक्फ (संशोधन) विधेयक गहन विचार-विमर्श के बाद लाया गया है। विपक्षी सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ताओं का जवाब देते हुए रिजिजू ने कहा कि वक्फ विधेयक के अन्तर्गत किसी भी धार्मिक निकाय की स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून के मसौदे में संविधान के प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है। संशोधित विधेयक में सेंट्रल वक्फ बोर्ड कार्जिसल और राज्य वक्फ बोर्डों के विस्तृत संयोजन का प्रस्ताव है तथा इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रकार के निकायों में मुस्लिम

महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व भी हो। वक्फ (संशोधन) अधिनियम वर्ष 2013 में प्रावधान था कि उपधारा (1) से (8) के अन्तर्गत नियुक्त होने वाले कम से कम दो सदस्य महिला होंगी चाहिए। नए विधेयक में भी महिलाओं को सदस्य के रूप में अहमियत दी गई है, लेकिन आगे यह भी जोड़ा गया है कि "वक्फ हलाल औलाद" के निर्माण से तात्पर्य महिलाओं को विरासत के अधिकार से इनकार करना नहीं है। विधेयक में बोहरा और आगाखानियों के लिए 1 अलग बोर्ड के गठन का प्रावधान है। विधेयक के मसौदे में शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी तथा मुस्लिम समुदाय के अन्य पिछड़ा वर्गों को प्रतिनिधित्व देना प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह परिभाषित करना है कि "वक्फ का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो कम से कम पांच साल से इस्लाम का अनुयायी

है तथा इस प्रकार की सम्पत्ति का स्थापित करने के पास है। विधेयक का एक उद्देश्य एक सेंट्रल पोर्टल तथा डेटाबेस के माध्यम से वक्फ का रजिस्ट्रेशन करना है। किसी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में रिपोर्ट करने की पूर्व सभी संबंधित पक्षों को नामान्तरण के लिए आवश्यक कानूनों के अनुसार उचित नोटिस देने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। वर्ष 1995 का वक्फ अधिनियम किसी "वाकिफ" द्वारा दी गई "अकिफ" (दान की गई एवं वक्फ के रूप में अधिष्ठाित की गई सम्पत्ति) के नियमितकरण को लेकर लाया गया था। वाकिफ उस व्यक्ति को कहते हैं जो मुस्लिम कानून के अन्तर्गत धार्मिक अथवा दान योग्य के रूप में प्राधिकृत किसी सम्पत्ति को समर्पित करता है। अधिनियम में अंतिम बार वर्ष 2013 में संशोधन किया गया था।

कालाडेरा में लोहा ढलाई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) ने कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही है। जयपुर से एफ.एस.एल की टीम ने भी फैक्टरी में घटना स्थल से सैम्पल लिए हैं। विधायक डॉ. शिखा मील बराला, चौमू उपखण्ड अधिकारी दिलीप सिंह व पूर्व विधायक रामलाल शर्मा आदि ने चौमू शहर के निजी अस्पताल में इलाज करावा रहे घायलों से मिलकर हर संभव इलाज का आश्वासन दिया। जानकारी के अनुसार, घायलों में श्यामलाल पुत्र प्रभुदयाल निवासी हाथनोदा, नानुराम पुत्र प्रभुदयाल निवासी हाथनोदा, सुरेश कुमार पुत्र नारायण लाल निवासी हाथनोदा थाना सामोद, चौधूराम पुत्र हरदेव निवासी खोराबसंद थाना मुरलीपुर जयपुर शहर, अशोक चौधरी पुत्र फूलचंद निवासी बिहार राज्य, बबलू यादव पुत्र जयप्रकाश निवासी बिहार राज्य, विनोद पुत्र सुवालाल निवासी धानोता थाना अमरसर, मदन पुत्र राजेन्द्र कुशवाह निवासी धौलपुर, नेमोचंद पुत्र रोशन लाल कुशवाह निवासी धौलपुर, प्रमोद कुमार पुत्र द्वारिका निवासी बिहार राज्य, निखिल कुमार निवासी बिहार राज्य, बहादुर पुत्र देवनारायण निवासी नेपाल, प्रकाश चन्द दुसाद पुत्र भगवान सहाय

निवासी नांगल भरडा थाना सामोद, ओमप्रकाश पुत्र रघुनाथ कुशवाह निवासी बिहार राज्य, निलेश कुमार पुत्र कमलेश सिंह कुशवाह निवासी बिहार राज्य तथा अजय शंकर, प्रियंका, चुनचुन, गरकरन शामिल हैं, जिनमें से सात घायलों का जयपुर के एम.एम.एस. अस्पताल में इलाज चल रहा है। बारह घायलों का चौमू के निजी अस्पतालों घायलों से मिलकर हर संभव इलाज का प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुत्रोहित, जयपुर ग्रामीण एस.पी. शंतनु कुमार सिंह, चौमू उपखण्ड अधिकारी दिलीप सिंह, जयपुर ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरि प्रसाद सोमानी, गोविन्दगढ़ डी.वाई.एस.पी. राजेश कुमार जांगिड़, तहसीलदार डॉ. विजयपाल तथा कालाडेरा थाना प्रभारी सहित, कई प्रशासनिक अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। कहा जा रहा है कि कालाडेरा रीको औद्योगिक क्षेत्र में अधिकांश फैक्ट्रियों में सुरक्षा उपकरणों की कमी है। जानकारी के अनुसार कालाडेरा रीको औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 300 इकाइयां स्थापित हैं, जिनमें से अधिकांश फैक्ट्रियों के पास तो फायर एन.ओ.सी. भी नहीं है।